



e-
filing
easy
filing




टी डी एस
का
अ से ज्ञ

वेबसाइट : www.tdscpc.gov.in

दूरभाष: 0120 4814600

ईमेल: contactus@tdscpc.gov.in

टोल फ्री नंबर: 1800 103 0344



जब आपके कर्मचारियों के करों का भुगतान करने का समय होता है, तो सौ प्रश्न दिमाग को भर देते हैं। कैसे, कितना, क्यों क्या, कब और क्यों, फिर से।

और इन लाख सवालों का जवाब कौन देता है? आप-कटौतीकर्ता। वह जो अपने आय पर करों की गणना करता है और अपने जीवन को आसान बनाता है,

महीने -दर -महीने, साल दर साल। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास प्रश्न हैं, तो आप कहाँ जाते हैं जब आपके पास

संदेह है? आगे कोई तलाश नहीं करें। अंदर के पन्नों के माध्यम

से, मैं आपको टीडीएस के ए से ज तक ले जाऊंगा।

टीडीएस का मतलब स्रोत पर कर कटौती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, कुछ निर्धारित भुगतानों (जैसे ब्याज, कमीशन, ब्रोकरेज, किराया, आदि के लिए) की स्थिति में, भुगतान करने वाले व्यक्ति को स्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती की आवश्यकता होती है यदि भुगतान तय सीमा से अधिक है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर टीडीएस की कटौती करनी पड़ती है।

टीडीएस को काटने के बाद भुगतान करने वाली कंपनी या व्यक्ति को कटौतीकर्ता (कटौती करने वाला) कहा जाता है और भुगतान प्राप्त करने वाले कंपनी या व्यक्ति को कटौती (डेडक्टी) कहा जाता है।

is
DS



टैन क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है ?



स्रोत पर कर की कटौती करने वाले को टैन प्राप्त करना और टीडीएस से संबंधित प्रत्येक अनुरूपता में इसे उद्धृत करना अनिवार्य है।

ध्यान दें: अचल संपत्ति की खरीद पर कर कटौती की स्थिति में और किराए पर टीडीएस के मामले में (गैर-लेखापरीक्षित व्यक्ति और हिंदू एकीकृत परिवारों द्वारा भुगतान) उपरोक्त अनिवार्य नहीं है।

• ट्रेसेज़ पर पंजीकरण

कर सुलह विश्लेषण और संशोधन सक्षम प्रणाली या ट्रेसेज़

(www.tdscpc.gov.in)

उपयोग से पहले अनिवार्य है।

ट्रेसेज़ क्या है? यह कटौतीकर्ताओं को टीडीएस के अनुवर्ती होने में कैसे मदद करता है?



• 'कटौतीकर्ता नियंत्रण-पटल'

टीडीएस कामकाज (विवरण स्थिति, चालान स्थिति, बकाया देय, कटौतीकर्ता अनुपालन खाका) के बारे में सूचित करता है।

• ट्रेसेज़ मुख्य पृष्ठ पर 'टीडीएस सीपीसी कम्युनिकेशंस' सीपीसी (टीडीएस) द्वारा भेजे गए संचार तक पहुंच प्रदान करता है।

• टीडीएस स्टेटमेंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन संशोधन सीधे ट्रेसेज़ पर करना संभव है। फॉर्म 27 क्यू में उल्लेख किए गए टीडीएस प्रमाण पत्र, गैर-पैन कटौतीकर्ताओं के लिए लेनदेन आधारित रिपोर्ट (टीबीआर), समेकित फ़ाइल, औचित्य रिपोर्ट, टैन-पैन समेकित फ़ाइल को भी साइट पर डाउनलोड किया जा सकता है।

• एकत्रित टीडीएस अनुपालन रिपोर्ट कॉर्पोरेट्स/बैंकों के मामले में एक पैन के अनुरूप सभी टैन का एक समेकित डिफॉल्ट सारांश है (ट्रेसेज़ पर करदाता लॉगिन में उपलब्ध)।

• साइट में ई-ट्यूटोरियल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, परिपत्र और सूचनाएं और सीपीसी (टीडीएस) संचार भी हैं।

• कटौतीकर्ता ट्रेसेज़ पर समाधान के लिए शिकायत मॉड्यूल अनुरोध भी कर सकता है।

टैक्स कब काटा जाता है?

कर डिडकटी को निर्धारित भुगतान या आय / भुगतान के क्रेडिट, जो भी पहले हो, के समय काटा जाता है। वेतन पर टीडीएस के स्थिति में, वास्तविक भुगतान के समय कर काटा जाता है। किराए पर टीडीएस के मामले में, वर्ष के अंतिम महीने के लिए किराए के क्रेडिट के समय कर में कटौती की जाती है।

टीडीएस को सरकार के क्रेडिट में कब जमा किया जाता है?

टीडीएस भुगतान का तरीका	भुगतान की नियत तिथि
आयकर चालान के बिना कर का भुगतान कब किया जाता है?	उसी दिन (पुस्तकीय समायोजन की स्थिति में लागू)
मार्च महीने के दौरान किया गया टीडीएस	30 अप्रैल तक या उससे पहले। (NON Gov)
मार्च के अलावा अन्य महीनों के दौरान किया गया टीडीएस	अगले महीने की 7 तारीख तक या उससे पहले
अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस (194 आई ए) *	कटौती के महीने के अंत से 30 दिनों पर या उससे पहले।
किराए पर टीडीएस (194 आई बी) *	कटौती के महीने के अंत से 30 दिनों पर या उससे पहले।
(* फॉर्म 26क्यूबी 26क्यूसी में चालान सह विवरण दाखिल करने की आवश्यकता है)	
ध्यान दें : कुछ मामलों में, मूल्यांकन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ टीडीएस के त्रैमासिक भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।	

टीडीएस का भुगतान करने के लिए किस चालान का उपयोग किया जाता है?

टीडीएस को चालान नंबर आईटीएनएस -281 का उपयोग करके सरकार को क्रेडिट दिया जाता है

चालान पहचान संख्या या सीआईएन क्या है?


प्रत्येक आयकर चालान को सिन द्वारा पहचाना जाता है, जिसमें बैंक बीएसआर कोड, जमा की तारीख और चालान क्रमांक संख्या को शामिल किया जाता है।

कर जमा कैसे करें

टीडीएस को चालान के माध्यम से या तो मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से बैंक में नकद या चेक के रूप में जमा किया जाता है। टीडीएस का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य है:

(अ) सभी कॉर्पोरेट करदाता

(ब) गैर-कॉर्पोरेट करदाता जो धारा 44एबी के अंतर्गत ऑडिट के अधीन हैं



टीडीएस प्रमाणपत्र का प्रारूप क्या है और इसे जारी करने की आवृत्ति क्या है?

प्रत्येक कटौतीकर्ता को निम्नलिखित प्रपत्र में उसके द्वारा काटे गए कर के संबंध में कटौतीकर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा:

तालिका संख्या - 2

विवरण	फॉर्म प्रकार	प्रमाण पत्र जारी करने की आवृत्ति
वेतन पर टीडीएस प्रमाण पत्र	फॉर्म 16	वार्षिकी
वेतन के अलावा अन्य भुगतान पर टीडीएस प्रमाण पत्र	फॉर्म 16 ए	तिमाही
अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस प्रमाण पत्र	फॉर्म 16 बी	26 क्यू बी दाखिल करने के 15 दिन में
किराए पर टीडीएस प्रमाण पत्र	फॉर्म 16 सी	26 क्यू सी दाखिल करने के 15 दिन में
टीसीएस प्रमाणपत्र	फॉर्म 27 डी	तिमाही

तिमाही टीडीएस प्रमाण पत्र में कई भुगतानों को जोड़ा जा सकता है

The image shows a sample of Form No. 16 (PART A) from the TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System (TRACES). It includes fields for the Deductor's name and address, the Employee's name and address, PAN of the Deductor and Employee, and a summary of tax deducted and deposited. The form is titled 'FORM NO. 16 [See rule 31(1)(a)] PART A Certificate under Section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary'.

- विशिष्ट टीडीएस प्रमाण पत्र संख्या के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र (फॉर्म 16/16 ए/27 डी) (www.tdscpc.gov.in) डाउनलोड करें और नियत तिथि के भीतर करदाताओं को जारी करें।
- फॉर्म 16 के भाग ए में पैन् को दिखाया गया है जो चौथी तिमाही के लिए 24 क्यू स्टेटमेंट के अनुलग्नक 1 में रिपोर्ट किए गए हैं। वेतन विवरण चौथी तिमाही के लिए त्रिमासिक टीडीएस विवरण के अनुलग्नक II में वर्ष के पूरे या भाग के लिए अनिवार्य है।



टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की नियत तिथि क्या है?

तालिका संख्या: 3

फॉर्म संख्या	नियत तिथि
वार्षिक फॉर्म 16	वित्तीय वर्ष के बाद 15 जून।
त्रैमासिक फॉर्म 16 ए / फॉर्म 27 डी	तालिका संख्या 5 का स्तंभ 3 और 5 देखें

01/04/2012 से, टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है (16 ए केवल www.tdscpc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है)। कटौतीकर्ता अंतर्वस्तु विषय की सटीकता को सत्यापित करेगा और डिजिटल या मैनुअल हस्ताक्षर का उपयोग करके इसे प्रमाणित करेगा। सत्यापन के बाद, यह एक वैध प्रमाण पत्र बन जाता है।

टीडीएस प्रमाणपत्र की अंदर की सामग्री क्या है

टीडीएस प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण हैं:

- (अ) प्राप्तकर्ता का वैध पैन
- (ब) कटौतिकर्ता का वैध पैन
- (स) चालान पहचान संख्या (सीआईएन), जो बैंक के बीएसआर कोड के संयोजन से उत्पन्न संख्या, जहां कर जमा किया जाता है, कर जमा की तारीख और बैंक द्वारा आवंटित चालान सीरियल नंबर है
- (द) बिन नंबर में 24 G की रसीद संख्या, 24G में DDO सीरियल नंबर, ट्रांसफर वाउचर की तिथि होती है

FORM NO. 16
(Sec rule 31(1)(a))

PART A
Certificate under Section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary

Certificate No. [Redacted] Last updated on [Redacted]

Name and address of the Employer [Redacted] Name and address of the Employee [Redacted]

PAN of the Deductor: AAA [Redacted] TAN of the Deductor: MUMM [Redacted] PAN of the Employee: CID [Redacted] Employee Reference No. provided by the Employer (If available): [Redacted]

CIT (TDS) Assessment Year: 2015-16 Period with the Employer: From 01-Apr-2014 To [Redacted]

The Commissioner of Income Tax (TDS)
Room No.909A, 9th Floor, K.G. Mittal Ayurvedic Hospital
Building, Charni Road, Mumbai - 400002

Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee


Quarter(s)	Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under sub-section (3) of Section 200	Amount paid/credited	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of tax deposited / remitted (Rs.)
Q1	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Q2	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Q3	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Q4	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Total (Rs.)				

I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT
(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Book Identification Number (BIN)			
		Receipt Numbers of Form No. 24G	DDO serial number in Form no. 24G	Date of transfer voucher (dd/mm/yyyy)	Status of matching with Form no. 24G
Total (Rs.)					

II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN
(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which Tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching with OLTAS*
1					
2					
3					
4					



टीडीएस का विवरण क्या है और इसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया है?

- स्रोत पर कर में कटौती करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को टीडीएस विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- टीडीएस विवरण और कटौती पंक्ति को रद्द करने की अनुमति ज्यादा समय के लिए नहीं है। तदनुसार, त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट में सही और वैध विवरण (पैन/टैन/श्रेणी आदि) का उल्लेख करना अत्यावश्यक है।
- टीडीएस विवरण और कटौती पंक्ति को रद्द करने की अनुमति ज्यादा समय के लिए नहीं है। तदनुसार, त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट में सही और वैध विवरण (पैन/टैन/श्रेणी आदि) का उल्लेख करना अत्यावश्यक है।
- लघु कटौती की स्थिति में टीडीएस स्टेटमेंट में सही और वैध लघु कटौती दर टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या उद्धृत करें। कटौतिकर्ता ट्रेसेज़ वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर लघु टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या को ऑनलाइन सत्यापित कर सकता है।
- अंतिम तत्कालिक रसीद संख्या को नियमित टीडीएस विवरणों में उद्धृत किया जाना चाहिए। नया नियमित (मूल) टीडीएस विवरण दाखिल करते समय, किसी भी फॉर्म प्रकार के नियमित त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट की अंतिम स्वीकृत तत्कालिक रसीद संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।
- टीडीएस विवरण में किसी भी वैध चालान और कटौती की पंक्ति को उद्धृत किए बिना दाखिल नहीं किया जा सकता है।
- ट्रेसेज़ वेबसाइट से समेकित टैन-पैन फ़ाइल डाउनलोड करें, और इसका उपयोग एक नया टीडीएस विवरण दाखिल करने के लिए और गलत या अमान्य पैन उद्धृत करने से बचने के लिए करें।
- टीडीएस स्टेटमेंट में दर्ज करने से पहले ट्रेसेज़ वेबसाइट से पैन और नए डेडक्टी के नाम को सत्यापित करें।
- अपूर्ण और गलत रिपोर्टिंग के लिए सटीक रूप से संशोधन विवरण दाखिल करें। ट्रेसेज़ वेबसाइट, www.tdscpc.gov.in विवरणों के ऑनलाइन संशोधन के लिए सुविधा प्रदान करती है।
- सरकारी कटौतिकर्ताओं को समय पर अपने लेखा अधिकारी (एआईएन धारक) से बीआईएन (बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर) प्राप्त करना चाहिए और टीडीएस स्टेटमेंट में इसे सही ढंग से उद्धृत करना चाहिए।

टीडीएस के संबंध में विवरण	टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म
वेतन पर टीडीएस	फॉर्म संख्या 24 क्यू
वेतन के अलावा एक प्रवासी या विदेशी कंपनी या एक निवासी लेकिन आमतौर पर भारतीय निवासी नहीं को अन्य भुगतान पर टीडीएस।	फॉर्म संख्या 27 क्यू
उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को वेतन के अलावा अन्य भुगतान पर टीडीएस।	फॉर्म संख्या 26 क्यू
अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस	फॉर्म संख्या 26क्यू बी
किसी भी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा किराए के भुगतान पर टीडीएस	फॉर्म संख्या 26 क्यू सी
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का त्रैमासिक विवरण।	फॉर्म संख्या 27 ई क्यू

टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि क्या है?

टीडीएस विवरण दाखिल करने की नियत तिथियाँ तालिका में दी गई हैं:

तिमाही का अंत	टीडीएस विवरण दाखिल करने के लिए नियत तारीख	फॉर्म 16 ए के लिए नियत तिथि	टीसीएस विवरण दाखिल करने की नियत तिथियाँ	फॉर्म 27 डी की नियत तिथि
30 जून	31 जुलाई	15 अगस्त	15 जुलाई	30 जुलाई
30 सितंबर	31 अक्टूबर	15 नवंबर	15 अक्टूबर	30 अक्टूबर
31 दिसंबर	31 जनवरी	15 फ़रवरी	15 जनवरी	30 जनवरी
31 मार्च	31 मई	15 जून	15 मई	30 मई

जुलाई 31



टीडीएस डिफॉल्ट और सरकार को भुगतान न करने के परिणाम क्या हैं?

- कर कटौती करने में विफलता, लघु कर कटौती, सरकार को काटे गए कर के भुगतान में विलंब, कटौतीकर्ता को जुर्माना के लिए उत्तरदायी बनाती है, जो उस राशि के बराबर है जिसके लिए करदाता को डिफॉल्टर माना जाता है।
- कटौती न होने या लघु कटौती या कर की कटौती में देरी के मामले में, प्रति माह 1% का या महीने के हिस्से पर कर पर ब्याज लगाया जाता है। In कटौती के बाद कर भुगतान में विलंब की स्थिति में, प्रति माह 1.5% का या महीने के हिस्से के लिए ब्याज लगाया जाता है।
- कर संग्रह के बाद कर के भुगतान में विलंब की स्थिति में, कर का भुगतान नहीं किए जाने तक 1% प्रति माह या महीने के हिस्से पर ब्याज लगाया जाएगा।
- कटौतीकर्ता द्वारा स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान केन्द्र सरकार को क्रेडिट करने में विफलता के कारण उसे न्यूनतम तीन माह के कठोर कारावास का सामना करना सकता है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है।
- टीडीएस तिमाही विवरण दाखिल करने में देरी आकर्षित करती है:
 1. डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए रु. 200/- प्रति दिन का विलंब शुल्क, कुछ सीमाओं (धारा 234E के अधीन) के अधीन है।
 2. न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये (1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) (धारा 271 एच के अधीन)।
- टीडीएस विवरण आदि के प्रसंस्करण पर टीडीएस चूक, यदि कोई हो, का विवरण जानने के लिए ट्रेसेज वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करें।

गलत विवरण को प्रस्तुत करने या गलत जानकारी दाखिल करने के क्या परिणाम हैं

- 1 जुलाई 2012 से, निर्धारित समय के भीतर टीडीएस विवरण दाखिल करने की विफलता, कटौतीकर्ता को धारा 234 ई के तहत विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना देगी, प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये की राशि, जिसके दौरान डिफॉल्ट जारी रहता है।
- 1 जुलाई 2012 से, कटौतीकर्ता द्वारा विवरण में गलत जानकारी का प्रस्तुत करना उसे दंड के लिए उत्तरदायी बना देगा, जो की रुपये 10, 000 से कम नहीं होगा, लेकिन रुपये 1 लाख तक बढ़ भी सकता है।
- यदि टीडीएस विवरण दाखिल करने में देरी निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक है, तो कटौतीकर्ता को अतिरिक्त रूप से 10,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना देना होगा जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है।
- टैन के लिए आवेदन करने या कटौतीकर्ता द्वारा सही टैन का हवाला देने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- धारा 234 ई के अंतर्गत विलंब दाखिल शुल्क, प्रकृति में वैधानिक होने के नाते, समाप्त नहीं किया जा सकता है।



समेकित टीडीएस अनुपालन

- एक से अधिक टैन वाली इकाई का पैन (केंद्रीय कार्यालय, मुख्यालय आदि), संगठनात्मक स्तर पर टीडीएस अनुपालन के सारांश के लिए संदर्भित पैन से जुड़ी अपनी शाखाओं के लिए नियमित आधार पर 'समेकित टीडीएस अनुपालन' रिपोर्ट की समीक्षा कर सकता है।
- यह सुविधा संबंधित इकाई द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (ए) (आईए) के प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से बेहद उपयोगी होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही जानकारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 3सी डी / 44ए बी अधिनियम) के पैराग्राफ 21 (बी) और 34 (बी) में बताई गई है
- यह सुविधा सभी वित्तीय वर्षों में सभी संबंधित टैन के टीडीएस चूक का सारांश प्रदान करती है, जो संगठनात्मक स्तर पर प्रभावी टीडीएस प्रबंधन, निरीक्षण, नियंत्रण और अनुपालन में सहायता करती है।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, कटौतीकर्ता को अपने पैन के साथ ट्रेसेज वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।

टीडीएस फाइलिंग स्टेटमेंट का प्रारूप क्या है?

टीडीएस का विवरण निम्नलिखित प्रारूपों में दाखिल किया जा सकता है:

- (1) पेपर रिटर्न फॉर्म (20 से कम कटौतीकर्ताओं के लिए)।
- (2) इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर्म: फॉर्म नंबर 27 ए को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
निम्नलिखित कटौतीकर्ताओं को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्दिष्ट फॉर्म में टीडीएस स्टेटमेंट दाखिल करना होगा। ये कटौतीकर्ता हो सकते हैं:
 - (a) सरकार का कार्यालय
 - (b) एक कंपनी
 - (c) एक व्यक्ति जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में धारा 44एबी के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है
 - (d) जहां वित्तीय वर्ष के किसी भी तिमाही के लिए त्रैमासिक बयान में कटौती के रिकॉर्ड की संख्या बीस या उससे अधिक या बीस के बराबर है।

ध्यान दें : किसी अन्य कटौतीकर्ता के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना वैकल्पिक है।

यदि डेडकटी अपना पैन प्रस्तुत नहीं करता है तो कटौतीकर्ता का कर्तव्य क्या है?



यदि डेडकटी पैन को प्रस्तुत नहीं करता है या कटौती करने वाले को गलत पैन प्रस्तुत करता है, तो **कटौतीकर्ता स्रोत पर कर में कटौती** करेगा जो निम्न दरों से अधिक है

- (a) अधिनियमों में निर्धारित दर
- (b) वित्त अधिनियम में उल्लिखित दर पर लागू दर
- (c) 20% की दर से

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(सीबीडीटी) ने फॉर्म 16
और फॉर्म 24 क्यू के लिए
विषय वस्तु में संशोधन
किया है।

संशोधित फॉर्म, जो 12
मई, 2019 से प्रभावी
हए हैं, को
निम्नलिखित पृष्ठों में
शामिल किया गया है।

FORM NO. 16
[See rule 31(1)(a)]
PART A

Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary				
Certificate No.				
Name and address of the Employer		Name and address of the Employee		
PAN of the Deductor	TAN of the Deductor	PAN of the Employee	Employee Reference No. provided by the Employer (If available)	
CIT (TDS) Address..... City..... Pin code		Assessment Year	Period with the Employer	
			From	To
Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee				
Quarter(s)	Receipt Numbers of original quarterly statements of TDS under sub-section (3) of section 200	Amount paid/credited	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of tax deposited/remitted (Rs.)
Total (Rs.)				
I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT (The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)				
Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Book Identification Number (BIN)		
		Receipt numbers of Form No. 24G	DDO serial number in Form No.24G	Date of transfervoucher dd/mm/yyyy
Total (Rs.)				

II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN					
(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)					
Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs.)	Challan Identification Number (CIN)			
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching with OLTAS
Total (Rs.)					
Verification					
I,,son/daughter of..... working in the capacity of (designation) do hereby certify that a sum of Rs [Rs.(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, TDS statements, TDS deposited and other available records.					
Place.....	(Signature of person responsible for deduction of tax)				
Date.....					
Designation:	Full Name:				

PART B (Annexure)

Details of Salary Paid and any other income and tax deducted				
1	Gross Salary			
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1)		Rs.	Rs.
(b)	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs.	Rs.
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs.	Rs.
(d)	Total			Rs.
(e)	Reported total amount of salary received from other employer(s)			Rs.
2	Less: Allowances to the extent exempt under section 10			
(a)	Travel concession or assistance under section 10(5)		Rs.	
(b)	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10)		Rs.	
(c)	Commutated value of pension under section 10(10A)		Rs.	
(d)	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA)		Rs.	
(e)	House rent allowance under section 10(13A)		Rs.	
(f)	Amount of any other exemption under section 10			
	clause ...	Rs.		
	clause ...	Rs.		
	clause ...	Rs.		
	clause ...	Rs.		
	clause ...	Rs.		
	...	Rs.		
(g)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs.	

(h)	Total amount of exemption claimed under section 10 [2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)]			Rs.	
3	Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(h)]			Rs.	
4	Less: Deductions under section 16				
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs.		
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs.		
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs.		
5	Total amount of deductions under section 16 [4(a)+4(b)+4(c)]			Rs.	
6	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5]			Rs.	
7	Add: Any other income reported by the employee under as per section 192 (2B)				
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS		Rs.		
(b)	Income under the head Other Sources offered for TDS		Rs.		
8	Total amount of other income reported by the employee [7(a)+7(b)]			Rs.	
9	Gross total income (6+8)			Rs.	
10	Deductions under Chapter VI-A				
			Gross Amount	Deductible Amount	
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs.	Rs.	
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs.	Rs.	
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1)		Rs.	Rs.	
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs.	Rs.	
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs.	Rs.	
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCD (2)		Rs.	Rs.	
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs.	Rs.	
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs.	Rs.	
			Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(i)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs.	Rs.	Rs.	
(j)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA	Rs.	Rs.	Rs.	
(k)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A				
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	section ...	Rs.	Rs.	Rs.	
	Rs.	Rs.	Rs.	
(l)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI- A	Rs.	Rs.	Rs.	

4. Details of tax deducted and paid to the credit of the Central Government:

Sl. No.	Tax	Surcharge	Education Cess	Interest	Fee (See Note 5)	Penalty / Others	Total amount deposited as per challan/ Book Adjustment (302+303+304 +302+306+304) (See Note 6)	Mode of TDS deposit through Challan (C) /Book Adjustment (B) (See Note 7)	BSR code/ Receipt Number of Form No. 24G (See Note 8)	Challan Serial No./ DDO Serial No. of Form 24G (See Note 8)	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (See Note 8)	Minor Head of Challan (See note 9)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[307]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]	[313]
1												
2												
3												

5. Details of salary paid and tax deducted thereon from the employees -

- (i) enclose Annexure I along with each statement having details of the relevant quarter;
(ii) enclose Annexure II along with the last statement, i.e., for the quarter ending 31st March having details for the whole financial year.

Verification

I..... hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for deducting tax at source.....

Date: Name and designation of the person responsible for deducting tax at source.....

Notes:

- It is mandatory for non-Government deductors to quote PAN. In case of Government deductors,"PANNOTREQD" should be mentioned.
- Please indicate Government deductor or non-Governmentdeductor.
- In case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.
- In alternate telephone number and alternate email, please furnish the telephone number and email of a person who can be contacted in the absence of deductor or person responsible for deduction of tax.
- ~~Part~~ under section 234E for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of 'Fee' (column 306)
- In column 308, Government DDOs to mention the amount of TDS remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other deductors to write the exact amount of TDS deposited through challan.
- In column 309, Government deductors to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors to write "C".
- Challan /Transfer Voucher (CIN/BIN) particulars, i.e. 310, 311,312 should be exactly the same as available at Tax Information Network.
- In column 313, mention minor head as marked on the challan.

ANNEXURE-I : DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line - item in the table at Sl. No. 04 of main Form 24Q)

Details of salary paid and tax deducted therefrom from the employees

BSR Code of branch/ Receipt Number of Form No.24G			Name of the Employer		
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)				TAN	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No.24G					
Amount as per Challan					
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of col. 326					
Total Interest to be allocated among deductees below					

Sl.No.	Employee reference number provided by employer, if available	PAN of the employee	Name of the employee	Section Code [See Note 4]	Date of payment/ credit (dd/mm/yyyy)	Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Amount Paid or Credited	Tax	Surcharge	Education Cess	Total TDS (Total of column 322, 323 and 324)	Total TDS deposited Rs.	Date of deposit (dd/mm/yyyy)	Reason for non-deduction/ lower deduction /higher deduction [See Notes 1, 2 and 3]	Number of the certificate u/s 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction
[314]	[315]	[316]	[317]	[318]	[319]	[320]	[321]	[322]	[323]	[324]	[325]	[326]	[327]	[328]	[329]
1															
2															
3															
Total															

Verification

I..... hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

- Write** certificate has been given by the Assessing Officer for deduction of tax at lower rate under section 197. PAN of employee is mandatory in such
- Write** certificate has been given by the Assessing Officer cases. for no deduction of tax under section 197. PAN of employee is mandatory in such cases.
- Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee.
- List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192	Payment to Government employees other than Union Government employees	92A
192	Payment to employees other than Government employees	92B
192	Payment to Union Government employees	92C

Annexure II

Details of salary paid or credited during the financial yearand net tax payable

Serial number.	Permanent Account Number of the employee.	Name of the employee.	Deductee type (Senior Citizen, Super Senior Citizen, Others).	Date from and date up to employed with current employer in the current financial year (dd/mm/yyyy).	Gross Salary as per provisions contained in section 17(1).	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable).	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable).	Total amount of gross salary received from current employer (see Note 1 for definition of Salary).	
[330]	[331]	[332]	[333]	[334]	[335]	[336]	[337]	[338]	
Reported total amount of salary received from other employer(s) (see Note 1 for definition of Salary).	Travel concession or assistance under section 10(5).	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10).	Commuted value of pension under section 10(10A).	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA).	House rent allowance under section 10(13A).	PAN of landlord, if exemption is claimed under section 10(13A) (see Note 3).	Amount of any other exemption under section 10.	Total amount of exemption claimed under section 10 (340+341+342+343+344+346).	Total declaration under section 16(19)
[339]	[340]	[341]	[342]	[343]	[344]	[345]	[346]	[347]	[348]
Total deduction under section 16(ii).	Total deduction under section 16(iii).	Income chargeable under the head "Salaries" [338+339-(347+348+349+350)].	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS as per section 192 (2B).	PAN of lender, if interest on housing loan is claimed under section 24(b) (see Note 4).	Income under the head other sources offered for TDS as per section 192 (2B).	Gross total income (351+352+ 354).	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C.	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC.	Deduction in respect of contribution by taxpayer to notified pension scheme under section 80CCD(1).
[349]	[350]	[351]	[352]	[353]	[354]	[355]	[356]	[357]	[358]

Deduction in respect of amount paid or deposited under notified pension scheme under section 80CCD(1B).	Deduction in respect of contribution by employer to notified pension scheme under section 80CCD(2).	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D.	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E.	Total deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G.	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA.	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter V-A.	Total amount deductible under Chapter V-A [356+357+358 (limited to Rs.1,50,000)+359+360+361+362+363+364+365].	Total taxable income (355-366).	Income-tax on total income.
[359]	[360]	[361]	[362]	[363]	[364]	[365]	[366]	[367]	[368]

Rebate under section 87A, if applicable.	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance.	Net tax liability [368+370+371-(369+372)].	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	Reported amount of tax deducted at source by other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	Total amount of tax deducted at source for the whole year (374+375).	Shortfall in tax deduction (+) or excess tax deduction (373-376).
[369]	[370]	[371]	[372]	[373]	[374]	[375]	[376]	[377]

Notes:

- Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10)), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (8 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10(10AA)), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
- Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
- Permanent Account Number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
- Permanent Account Number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer".
[Notification No. 36/2019/F.No. 370142/4/2019-TPL]
(Saurabh Gupta)
Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E) dated the 26th of March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R No. 279(E) dated 01/04/2019.



किसी भी और प्रश्न या शंकाओं के लिए, हमारे साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें:

सीपीसी-टीडीएस, आयकर निदेशालय (सिस्टम)

टोल फ्री : 1800 103 0344

दूरभाष : 0120 4814600

फैक्स : 0120 4816105

ई-मेल : contactus@tdscpc.gov.in

This brochure should not be construed as an exhaustive statement of the law.